न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र सं0 215/17
निर्णय दिनांक:– 11.05.2018

1. सूजाराम पुत्र पन्नाराम जाति कुम्हार नि0 खण्डेल तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कि0रेनवाल जिला जयपुर
2. लालाराम पुत्र कानाराम
3. भंवरलाल पुत्र गुल्लाराम
4. रामलाल पुत्र गुल्लाराम
5. मांगीलाल पुत्र गुल्लाराम
6. मंगला पुत्र हीरा
7. आनंदीलाल पुत्र हीरा
8. भागीरथ पुत्र हीरा
9. गोपाल पुत्र रूपा
10. शंकर पुत्र रूपा
11. मेवाराम पुत्र रूपा

समस्त जाति कुम्हार नि0 खण्डेल तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

12. प्रमुदयाल पुत्र रूघाराम
13. रामलाल पुत्र रूघाराम
14. राजेन्द्र पुत्र रूघाराम
15. पेमाराम पुत्र उदाराम
16. गुल्लाराम पुत्र उदाराम

समस्त जाति कुम्हार नि0 अमीपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

17. बोदू पुत्र रूपा
18. काना पुत्र रूपा
19. मोहनराम पुत्र बालू
20. देवा पुत्र बालू
21. लक्ष्मण पुत्र बालू
22. खूबा पुत्र रेखाराम
23. बिरदीचन्द पुत्र गोगाराम फौत जरिये कामय मुकामान
    - 23/1 हीरादेवी पत्नि बिरदीचन्द
    - 23/2 अमल पुत्र बिरदीचन्द
    - 23/3 छोटूराम पुत्र बिरदीचन्द
    - 23/4 विमला पुत्री बिरदीचन्द
24. गलकूदेवी पत्नि हुक्माराम
25. सूजा पुत्र हुक्माराम
26. सुवालाल पुत्र हुक्मा
27. सूरजकरण पुत्र हुक्मा
28. कमलादेवी पत्नि भोलूराम
29. झूंथा पुत्र किशना
30. श्योनाथ पुत्र घीसा दत्तक पुत्र नानूराम
31. मेवाराम पुत्र घीसाराम
32. धन्ना पुत्र किशना

समस्त जाति जाट नि0 अमीपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

33. लादू पुत्र लिछमण फौत जरिये कामय मुकामान
    - 33/1 झमरीदेवी पत्नि लादूराम
    - 33/2 मांगलाल पुत्र लादूराम

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

33/3 अमरचन्द पुत्र लादूराम
33/4 मोहनी पुत्री लादूराम
33/5 संतोषदेवी पुत्री लादूराम
33/6 कमलादेवी पुत्री लादूराम
समस्त जाति जाट नि0 खण्डेल तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से है कि प्रार्थी की आराजी खं0नं0 753 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खं0नं0 754 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खं0नं0 755 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खं0नं0 756 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खं0नं0 757 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खं0नं0 758 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खं0नं0 761 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खं0नं0 761/1042 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा किता 8 कुल रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम खण्डेल तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसके पड़ौस में अप्रार्थी सं0 2 लगा0 33 की आराजी खं0नं0 220, 746, 748, 749, 750, 777, 775, 769, 762, 759 वाके ग्राम खण्डेल तह0 फुलेरा में स्थित है इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 लगा0 33 पड़ौसी खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी सं0 2 लगा0 33 की नियत में फितुर आया हुआ है तथा प्रार्थी के अप्रार्थीगण पड़ौसी काश्तकार है जो अप्रार्थीगण प्रार्थी की जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करना चाहते है तथा प्रार्थी की आराजीयात को अपनी आराजीयात में दबाना चाहता है जिसके कारण आयेदिन प्रार्थी से अप्रार्थीगण सींवमेड़ को लेकर विवाद करते रहते है और प्रार्थी की सींव मेड़ को तोड़कर प्रार्थी की जमीन को अपनी जमीन में मिलाने पर उतारू हो जाता है जबकि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण सं0 2 लगा0 33 को कई बार कहा कि वह अपनी अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर निशानात कायम करते हुये पत्थरगढ़ी करवा लेवे किन्तु अप्रार्थीगण ऐसा करने से तैयार नहीं है जिससे आयेदिन सींवमेड़ को लेकर विवाद होता रहता है प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की आराजी प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में वर्णित का सीमाज्ञान करवाने हेतु नियमानुसार अप्रार्थी सं0 1 के समक्ष प्रा0पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी ने हल्का पटवारी काके आदेश क्रमांक एल0आर0/17/2226 दिनांक 26.05.17 को प्रार्थी की आराजी का सीमाज्ञान करने का आदेश हल्का पटवारी को प्रदान किया जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 31.05.17 को मौके पर जाकर प्रार्थी की आराजी का सीमाज्ञान कर रिपोर्ट तैयार की गई है जो सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट प्रा0पत्र के साथ संलग्न है। हल्का पटवारी ने प्रार्थी की उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर उपरोक्त रिपोर्ट तैयार कर अप्रार्थी सं0 1 के कार्यालय में प्रस्तुत की जिसके पश्चात् भी प्रार्थी की आराजी की सीमा सम्बन्धित विवाद उत्पन्न हो रखा है इस कारण प्रार्थी मुताबिक फर्द रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 31.05.17 के अनुसार प्रार्थी अपनी उक्त आराजी के पत्थरगढ़ी करवाकर उसके आधार पर तारबन्दी करवाना चाहता है जिससे प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सके ओर सीमा सम्बन्धित कोई विवाद भविष्य में

उत्पन्न नहीं हो। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी सं0 1 के समक्ष जाकर दिनांक 27.06.17 को पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया जिस पर अप्रार्थी सं0 1 ने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहा जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी के कार्यालय से सीमाज्ञान की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की व अपनी उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु यह प्रा0पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया। अप्रार्थीगण सं0 2 लगा0 11 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं0 12 लगा0 22, 24 लगा0 32 की ओर से वकील श्री चन्दनसिंह ने सेटसाईड का प्रा0पत्र व वकालतनामा पेश किया। बहस वकील प्रार्थी की सुनी गयी। पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र खण्डेल में पेश हुयी।

न्यायालय ने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी ने अपनी आराजी की पत्थर गढ़ी बाबत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थी ने अपनी आराजी का दिनांक 31.05.17 को नियमानुसार सीमाज्ञान करवा रखा है जिसकी फर्द मौका सीमाज्ञान पत्रावली में संलग्न है। ऐसी स्थिति में न्यायालय मुताबिक सीमाज्ञान प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढ़ी की जाना न्यायोचित समझता है।

निर्णय

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956 का राजस्व लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजी खं0नं0 753 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा, खं0नं0 754 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा, खं0नं0 755 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा, खं0नं0 756 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा, खं0नं0 757 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा, खं0नं0 758 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा, खं0नं0 761 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा, खं0नं0 761/1042 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा किता 8 कुल रकबा 16 बीघा 14 विस्वा वाकै ग्राम खण्डेल तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 की मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 31.05.17 के पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है साथ ही तहसीलदार फुलेरा को निर्देश दिये जाते है कि विवादग्रस्त आराजी के पड़ौसी खातेदार यदि अपने आराजी का सीमाज्ञान करवाना चाहते हो तो उनसे नियमानुसार प्रा0पत्र प्राप्त कर निर्धारित शुल्क जमा कर उनकी आराजी का भी सीमाज्ञान किया जावे । तहसीलदार फुलेरा को उक्त निर्णय की पालना की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प खण्डेल में टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साम्भर लेक

Scanned by CamScanner